न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2021(राजसमन्दआर्डर)

मांगीलाल पिता पन्नालाल जी ब्राहमण, निवासी बामनटूंकडा, तहसील व जिला राजसमन्द

.... अपीलान्ट

बनाम

1. परसराम पिता स्व. रामलालजी ब्राहमण, निवासी बामनटूंकडा, तहसील व जिला राजसमन्द
2. देवीलाल पिता स्व. रामलालजी ब्राहमण, निवासी बामनटूंकडा, तहसील व जिला राजसमन्द
3. शंकरलाल पिता स्व. रामलालजी ब्राहमण, निवासी बामनटूंकडा, तहसील व जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर,राजसमन्द प्रकरण संख्या 45/2017दिनांक09.03.2021

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री बसन्त कुमार पालीवालअभिभाषकअपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषकरेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

–––::–––

निर्णयदिनांक 19–09–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बामनटूकडा में आराजी नंबर 531 रकबा 10 बिस्वा, 1290 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 1297 रकबा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 437 व 468 है। उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी एवं उनके पिता पन्नालाल ने दिनांक 03.01.1968 को उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के दादा धीरजलाल उर्फ धीर जी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तब से उक्त भूमि पर कब्जा वादी का चला आ रहा है, किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3के नाम दर्ज रह जाने से वे अवैध अन्तरण करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वादग्रस्त भूमि अपने पिता द्वारा क्रय करने का कथन किया है, जबकि पन्नालाल जी न तो वादी के पिता हैं, न ही जमीन वादी ने क्रय की है। वादी के पिता अम्बालाल पालीवाल हैं, जिसके पुष्टि सिविल न्यायालय के मुकदमा नंबर 75/11 मांगीलाल बनाम सुरेश से होती है। वादी न्यायालय को अंधेरे में रखकर प्रतिवादीगण की भूमि हड़पना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे।

वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा बताया कि पन्नालाल व अम्बालाल सगे भाई होकर दोनों भाई जीवन पर्यत्न एक साथ रहे तथा दोनों भाईयों के बीच एक मात्र पुत्र वादी है तथा वादी ही इनकी सेवा चाकरी करता था। वादग्रस्त भूमि का एक मात्र स्वामित्व व आधिपत्य वादी का ही है। प्रतिवादीगण द्वारा मात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–03–2021 से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वादखारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा दिनांक 13–07–2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:12 IST
Reason: SelfAttested

अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोविड महामारी के कारण अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अपीलान्ट ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाई जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलान्ट की ओर से आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेजों को न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र की फोटो प्रति है, प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। अतः उक्त दस्तावेज स्वीकार्य योग्य नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट ने अपने व पन्नालाल जी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा चाही है। पन्नालाल का निधन हो जाने से अपीलान्ट मात्र उनका एक मात्र वारिस है एवं उसका क्रय दिनांक से शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता के नाम में विरोधाभाष होने के आधार पर वाद खारिज करने में भारी भूल की है, जबकि अपीलान्ट ने अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अम्बालाल व पन्नालाल दोनों सगे भाई होकर जीवन पर्यत्न साथ–साथ रहे तथा दोनों भाईयों के बीच एक मात्र पुत्र अपीलान्ट/वादी ही है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में 2019 DNJ (Rev.) Page 189, RRT 2019 (1) Page 116, RRT 2018 (2) Page 1425 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''वादी ने अपने पिता का नाम पन्नालाल वर्णित किया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वसीयत पत्र में वादी के पिता का नाम अम्बालाल अंकित है एवं सिविल न्यायालय में भी वादी ने प्रकरण संख्या 75/2011 में अपने पिता नाम अम्बालाल अंकित किया है।'' हमने भी उक्त वसीयत पत्र दिनांक 14.06.1993 का अवलोकन किया, जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम अम्बालाल अंकित है, जबकि अपीलान्ट ने वाद एवं अपील में अपने पिता का नाम पन्नालाल अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के पिता के नाम में विरोधाभाष होने के कारण वादी को स्वच्छ हाथों से आना नहीं मानते हुए प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने सेहम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–03–2021 यथावत रखा जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:12 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर